न्यायालय जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 14/2025/प्रार्थना पत्र मुंतकिली

रामचन्द्र पुत्र नारायणराम, जाति जाट, निवासी ग्राम संतोषपुरा, तहसील रींगस, जिला सीकर, राजस्थान

—प्रार्थी

बनाम

1. बृजेश कुमार गुप्ता आर.ए.एस. हाल उपखण्ड अधिकारी रींगस जिला सीकर राजस्थान
2. प्रभातीदेवी पत्नि मुरलीधर } समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम संतोषपुरा
3. छोटूराम पुत्र मुरलीधर } तहसील रींगस जिला सीकर राजस्थान।
4. महावीर पुत्र मुरलीधर }
5. परमेश्वरीदेवी पुत्री मुरलीधर पत्नि गिरधारीलाल, जाति जाट, निवासी तहसील रींगस, जिला सीकर राजस्थान
6. भागोती पुत्री मुरली पत्नि सरदार जाति जाट निवासी तहसील रींगस जिला सीकर राजस्थान।
7. मीनादेवी पुत्री मुरली पत्नि हरिसिंह जाति जाट निवासी ग्राम सुन्दरपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान
8. संजूदेवी पुत्री मुरली पत्नि पिंटू जाति जाट निवासी ग्राम सुन्दरपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान
9. संतरादेवी पुत्री मुरलीधर पत्नि भागीरथ जाति जाट निवासी तहसील रींगस जिला सीकर राजस्थान
10. सज्जन कुमार पुत्र नारायण जाति जाट निवासी ग्राम संतोषपुरा तहसील रींगस जिला सीकर राजस्थान
11. तुलसीराम पुत्र नारायण जाति जाट निवासी ग्राम संतोषपुरा तहसील रींगस जिला सीकर राजस्थान

—अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्रसिंह जाखड़, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सुखदेवसिंह महला, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

मुंतकिली आवेदन विरूद्ध पीठासीन अधिकारी श्री बृजेश कुमार उपखण्ड मजिस्ट्रेट रींगस, जिला–सीकर, बाबत् स्थानान्तरण किये जाने प्रकरण बउनवानी सरकार बनाम प्रभातिदेवी वगै. मुकदमा संख्या 01/2025 अन्तर्गत धारा 164, 165 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

निर्णय

दिनांक : 03 जून, 2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र **न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट रींगस** में विचाराधीन **प्रकरण संख्या 01/2025 किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 164, 165 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उनवानी सरकार बनाम प्रभातिदेवी वगै.** को अन्यत्र न्यायालय में सुनवायी हेतु स्थानान्तरित करने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है:–

(1) प्रार्थी के विरूद्ध थानाधिकारी पुलिस थाना रींगस जिला सीकर राजस्थान की ओर से इस्तगासा क्रमांक 01 दिनांकित 27.02.2025 अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वाकियात इस्तगासा इस प्रकार से है कि, "पार्टी नम्बर 1, प्रार्टी नम्बर 2, प्रार्टी नम्बर 3, प्रार्टी नम्बर 4 के मध्य ग्राम संतोषपुरा पटवार हल्का लापुआ तहसील रींगस में भूमि खसरा नम्बर 158, 160/3, 161/2, 162, 205 कुल किता 5 रकबा 1.11 है० तथा भूमि खसरा नम्बर 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 339 कुल किता 8 रकबा 7.85 है० तथा ग्राम चौमू पुरोहितान पटवार हल्का चौमू पुरोहितान में भूमि खसरा नम्बर 1547/264, 1548/264, 265 कुल किता 3 रकबा 2.7 है० में अवस्थित है। उक्त भूमि के स्वामित्व व कब्जे के संबंध में थाना इलाका पर सभी पक्षों द्वारा एक दूसरे के परिवाद पेश कर रहे है तथा सभी पक्षों में आपस में रंजिश है व खून खराबा होने की पूर्ण सम्भावना है। मौके की रिपोर्ट व गोपनीय रूप से जांच की गयी तो पाया गया कि सभी पक्ष उक्त भूमियों पर अपना स्वामित्व व कब्जा जता रहे हैं। मौके पर सभी पक्षों में भयंकर तनाव बना हुआ है। उक्त विवादित अंकित खसरा नम्बरान पर कब्जे को लेकर दोनो पक्षों में कभी भी जनहानि होने की प्रबल सम्भावना बनी हुई है। कभी भी किसी अप्रिय घटना घटित होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमियों के संबंध में पूर्व में गम्भीर वारदात आपस में पक्षकारान में होकर थाना इलाका पर प्रकरण दर्ज होकर जैर ट्रायल न्यायालय है। उक्त भूमि के संबंध में आपसी बंटवारे का विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। अतः इस्तगासा अन्तर्गत धारा 164 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त अंकित खसरा नम्बरान की भूमियो को धारा 165 भारतीय नागरिक सुरक्षा

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

संहिता 2023 के तहत कुर्क किया जाकर रिसीवर नियुक्त किये जाने की कृपा करें ताकि मौके पर कोई जनहानि तथा कोई अप्रिय घटना घटित न हो सके व इलाका हाजा में शांति व्यवस्था कायम रह सके।"

(2) इस्तगासा प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 11.03.2025 को अप्रार्थीगणों की तलबी जारी कर दिनांक 18.03.2025 नियत की गयी तथा प्रार्थी को दिनांक 17.03.2025 को जरिये सम्मन सूचना दी गयी। दिनांक 18.03.2025 को प्रार्थी न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट रींगस में उपस्थित हुआ। दिनांक 18.03.2025 को अधिवक्ताओं का कार्य स्थगन होने से प्रकरण इस्तगासा में आ.ता.पे. 21.03.2025 नियत की गई।

(3) प्रार्थी काफी वृद्ध व्यक्ति होकर शांतिपूर्वक आवास निवास एवं उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जो केवल मात्र कृषि भूमियों पर ही निर्भर होकर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करता चला आ रहा है तथा अप्रार्थी द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत इस्तगासा के जरिये भूमि को कुर्क कर प्रार्थी को हैरान परेशान करना चाह रहे हैं। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद कतई नहीं रही है। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी तुलसीराम के प्रभाव में होकर निष्पक्ष निर्णय नहीं कर प्रार्थी को दवाब में लेने के लिये एकमात्र आय का श्रोत कृषि भूमियो से वंचित करना चाह रहे है।

(4) अतः प्रकरण सरकार बनाम प्रभातीदेवी वगै० मुकदमा संख्या 01/2025 अन्तर्गत धारा 164, 165 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस को न्यायोचित निस्तारण किये जाने के लिये विधानसभा क्षेत्र खण्डेला के क्षेत्राधिकार से अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिए नोटिस तलब किया गया तथा प्रार्थना पत्र मुन्तकिली के संबंध में पीठासीन अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए।

3. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट रींगस के पीठासीन अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार टिप्पणी में अंकित किया गया है कि, इस्तगासा पत्रावली दिनांक 11.03.2025 को दर्ज की जाकर पार्टी नं० 1 ता 4 की तलबी जारी किया जाकर आगामी पेशी दिनांक 18.03.2024 नियत की गयी। दिनांक 18.03.2025 को प्रार्थी (मुन्तकिली पेश

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

कर्ता) की ओर से वकील श्री नेमीचन्द जाखड़ ने वकालतनामा पेश कर दिया। दिनांक 18.03.2024 को अधिवक्तागण का वर्क सस्पेण्ड था। प्रकरण अतिआश्यक प्रवृति का होने से तारीख पेशी पक्षकारान के सामने दिनांक 21.03.2025 नियत की गयी। पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमानुसार तारीख पेशीयां दी जाकर विधी अनुरूप कार्यवाही की जा रही हैं किसी प्रकार का कोई दबाव किसी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर नही बनाया गया है।

4. हमने उपस्थित पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि प्रार्थी काफी वृद्ध व्यक्ति होकर शांतिपूर्वक आवास निवास एवं उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जो केवल मात्र कृषि भूमियों पर ही निर्भर होकर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करता चला आ रहा है। अप्रार्थी द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत इस्तगासा के जरिये भूमि को कुर्क कर प्रार्थी को हैरान परेशान करना चाह रहे हैं। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद कतई नहीं रही है। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी तुलसीराम के प्रभाव में होकर निष्पक्ष निर्णय नहीं कर प्रार्थी को दवाब में लेने के लिये एकमात्र आय का श्रोत कृषि भूमियों से वंचित करना चाह रहे है। अतः प्रकरण सरकार बनाम प्रभातीदेवी वगै० मुकदमा संख्या 01/2025 अन्तर्गत धारा 164, 165 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस को न्यायोचित निस्तारण किये जाने के लिये विधानसभा क्षेत्र खण्डेला के क्षेत्राधिकार से अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दौराने बहस वकील अप्रार्थी संख्या 11 ने अभिकथन किया कि, प्रार्थी द्वारा निराधार तथ्यों को आधार बनाकर मुंतकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित इस्तगासा प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी मात्र प्रकरण को विलम्बित करना चाह रहे हैं। प्रार्थी की शंका निराधार है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली उपलब्ध आवेदन, दस्तावेजात तथा अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि

(1) विवादित इस्तगासा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.03.2025 को दर्ज होकर एक तारीख पेशी होने पर बाद तलबी दिनांक 21.03.2025 के लिए नियत किया गया था। उसके बाद प्रार्थी ने इस न्यायालय में मुंतकिली आवेदन प्रस्तुत

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

कर अधीनस्थ न्यायालय की उक्त पत्रावली को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का निवेदन किया है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त विवादित इस्तगासा पत्रावली में ऐसी कोई विपरीत कार्यवाही किया जाना जाहिर नहीं आया है जिससे कि पत्रावली पर की गई कार्यवाही विधि के विरूद्ध प्रतीत हो।

(3) प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन के साथ ऐसा कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवादित इस्तगासा पत्रावली में की गई कार्यवाही नियमानुसार अथवा विधिक रूप से नहीं किया जाना प्रतीत होता हो।

(4) दौराने बहस भी वकील प्रार्थी द्वारा अपने मुंतकिली आवेदन एवं पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आक्षेपों के समर्थन में कोई साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(5) उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अंकित आक्षेपों को यह न्यायालय उचित नहीं समझता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को मात्र विलम्बित किये जाने की गरज से पेश किया जाना प्रतीत होता है। फिर भी पक्षकारान एवं आमजन का न्याय के प्रति विश्वास बना रहे इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी रामचन्द्र द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुन्तकिली **खारिज** किया जाता है। **अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट रींगस को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2025 किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 164, 165 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उनवानी सरकार बनाम प्रभातिदेवी वगै. में उभयपक्षकारान को दस्तावेज एवं जवाब आदि प्रस्तुत करने तथा सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने के लिए समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।**

7. निर्णय आज दिनांक **03 जून, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर